रूप-संख्या—590

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995

भाद्रपद 3, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1672/सत्रह-वि–1–1 (क) 28-1995

लखनऊ, 25 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 25 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(कक) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य, जब अपील आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध की जाय, राज्य सरकार से और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध की जाय, मण्डल आयुक्त से है;";

(ख) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"(ङङ) 'केबिल सेवा' का तात्पर्य, प्रसारित टेलीवीजन संकेतों के केबिल द्वारा पुनः प्रसारण को सम्मिलित करते हुए, कार्यक्रमों का केबिल द्वारा प्रसारण से है;

(ङङङ) 'केबिल टेलीवीजन नेटवर्क' का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है जिसमें संवृत प्रसारण पथ और सहयुक्त संकेत सृजन, नियंत्रण और वितरण उपस्कर के सेट हों, जो बहुत से ग्राहकों द्वारा केबिल सेवा प्राप्त करने की व्यवस्था के लिए बने हों;";

(ग) खण्ड (ठठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ठठठ) 'कार्यक्रम' का तात्पर्य किसी टेलीवीजन प्रसारण से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(एक) वीडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर के माध्यम से फिल्मों, रूपकों, नाटकों, विज्ञापनों और धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(दो) कोई श्रव्य या दृश्य या श्रव्य-दृश्य जीवन्त अभिनय या प्रस्तुति;";

(घ) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(णण) 'ग्राहक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के स्वामी को अपने द्वारा इंगित स्थान पर केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के संकेत, आगे किसी अन्य व्यक्ति को प्रसारित किए बिना प्राप्त करता हो;"।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में,—

(क) शब्द और अंक "या धारा 4-ख" के पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 4-ग" बढ़ा दिए जायेंगे;

(ख) शब्द "आमोद कर का, प्रत्येक ऐसे भुगतान के एक सौ पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से" के स्थान पर शब्द "किसी फिल्म, जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1952) के अधीन 'ए' प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो, के मामले में, आमोद कर का, प्रत्येक ऐसे भुगतान के एक सौ पचहत्तर प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से और किसी अन्य मामले में एक सौ पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से" रख दिए जायेंगे।

नई धारा 4-ग का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 4-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"4-ग—(1) केबिल सेवा की व्यवस्था करने वाला केबिल टेलीवीजन नेटवर्क स्वामी दो सौ रुपये प्रति ग्राहक प्रति मास से अनधिक ऐसी दर से जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, आमोद कर का भुगतान करने का दायी होगा।

केबिल सेवा पर कर

परन्तु किसी केबिल टेलीवीजन नेटवर्क का स्वामी किसी ग्राहक, यदि वह होटल हो, के सम्बन्ध में आमोद कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

(2) इस धारा के अधीन देय कर का भुगतान, संग्रहण और वसूली ऐसी रीति से की जायगी जैसी विहित की जाय।"

धारा 10 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—केबिल सेवा के मामले में पद 'आमोद-स्थान' का तात्पर्य उस स्थान से होगा जहां से केबिल टेलीवीजन नेटवर्क संचालित किया जाय।"

धारा 15 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (4) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे।

निरसन और अपवाद

10—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पंकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग
प्रमुख सचिव।

No. 1672 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 28-1995

Dated Lucknow, August 25, 1995

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aamod Aur Pankar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28, of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 25, 1995.

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. ACT No. 28 OF 1995)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Second Amendment) Act, 1995.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of section 2 of U. P. Act No. 28 of 1979

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *after* clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*aa*) 'appellate authority' means the State Government when the appeal is preferred against an order of the Commissioner, and the Divisional Commissioner when the appeal is preferred against an order of the District Magistrate;";

(*b*) *after* clause (*e*), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*ee*) 'cable service' means the transmission by cables of programmes including re-transmission by cables of any broadcast television signals;

(*eee*) 'cable television network' means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;";

(*c*) *after* clause (12), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(iii) 'Programme' means any television broadcast and includes—

(i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials through vedeo cassette recorders or vedeo casette players;

(ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation;";

(*d*) *after* clause (*o*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*oo*) 'subscriber' means a person who receives the signals of cable television network at a place indicated by him to the proprietor of the cable television network, without further transmitting it to any other person."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1),—

(*a*) *after* the words and figures, "or section 4-B" the words and figures "or section 4-C" shall be *inserted* ;

(*b*) *for* the words "an entertainment tax at such rate not exceeding one hundred and fifty per cent", the words "an entertainment tax at such rate not exceeding one hundred and seventy-five per cent in the case of a film which has been granted an "A" certificate under the Cinemotograph Act, 1952 (Act No. 3 of 1952), and in any other case at such rate not exceeding one hundred and fifty per cent" shall be *substituted*.

Insertion of new section 4-C

4. *After* section 4-B of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"4-C. (1) The proprietor of a cable television network providing
Tax on cable service cable service shall be liable to pay entertainment tax at such rate not exceeding two hundred rupees for every subscriber for every month, as the State Government may, from time to time, notify in this behalf :

Provided that the proprietor of a cable television network shall not be liable to pay entertainment tax in respect of a subscriber which is a hotel.

(2) The tax payable under this section shall be paid, collected and realized in such manner as may be prescribed."

Amendment of section 10

5. In section 10 of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words "State Government", the words "appellate authority" shall be *substituted*.

Amendment of section 12

6. In section 12 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "State Government", the words "appellate authority" shall be *substituted*

7. In section 14 of the principal Act, *after* sub-section (1), the following explanation shall be *inserted*, namely :— **Amendment of section 14**

"*Explanation*—The expression "place of entertainment" shall, in the case of cable service, means the place from where the cable television network is operated."

8. In section 15 of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words "State Government", the words "appellate authority" shall be *substituted.* **Amendment of section 15**

9. In section 21 of the principal Act, in sub-section (4), *for* the words "State Government", the words "appellate authority" shall be *substituted.* **Amendment of section 21**

U. P. Ordinance no. 21 of 1995

10. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed. **Repeal and savings**

(2) Notwithstanding such repeal, anything done are any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 2058 राजपत्र (हि0)—(2832)—1995—1022+50 (मेक0)।